सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के कुशल नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.08.2024 को वादिनी सिताबी देवी पत्नी राजकुमार निवासी कछियान मोहल्ला लखना थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि उसका बेटा राहुल उर्फ कतली दिनांक 25.08.2024 को घर से चला गया था एवं काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला था जिसके संबंध मे दिनांक 28.08.2024 को थाना बकेवर पर उसकी गुमशुदगी दर्ज करवायी थी। दिनांक 29.08.2024 को वादिनी के पुत्र का शव गोतमपुरा नहर मे मिला। प्रधान विवेक यादव ने वादिनी के पुत्र राहुल उर्फ कतली की हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया। **सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 259/2024 धारा 351(3)/352/103(1) बीएनएस व धारा 3(2)(va) Sc/St Act पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.08.2024 को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 259/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक यादव पुत्र सर्वेश कुमार को पूर्वी तिराहा हाइवे से समय करीब 09.35 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विवेक यादव पुत्र सर्वेश कुमार निवासी ग्राम नगला कले लखना थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 30 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 351(3)/352/103(1) बीएनएस व धारा 3(2)(va) Sc/St Act थाना बकेवर जनपद इटावा

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त विवेक यादव पुत्र सर्वेश कुमार

01. मु0अ0सं0 183/2024 धारा 307/34/504 भादवि व धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।
02. मु0अ0सं0 408/2021 धारा 323/504 भादवि व धारा 3 (1) (घ), 3(1)(द), 3(2)(va) Sc/St Act थाना बकेवर जनपद इटावा।
03. मु0अ0सं0 477/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।
04. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 351(3)/352/103(1) बीएनएस व धारा 3(2)(va) Sc/St Act थाना बकेवर जनपद इटावा

पुलिस टीम-निरी0 श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना बकेवर, का0 विजय कुशवाह, का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 चालक अवनीश कुमार।